न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

पीठासीन अधिकारी– मुरलीधर प्रतिहार (आर.ए.एस.)

अपील संख्या : 2024/132

1. भरत सिंह आत्मज अर्जुन सिंह
2. हिम्मत सिंह आत्मज अर्जुन सिंह
3. मोहन सिंह आत्मज अर्जुन सिंह
4. विजय सिंह आत्मज महेन्द्र सिंह

जाति राजपूत निवासीगण बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा

——अपीलांटगण

बनाम

1. मुकेश पुत्र सीताराम जाति कहार निवासी वार्ड नं.. 17 तलाई पाडा केथून जिला कोटा
2. गजेन्द्र सिंह आत्मज अर्जुन सिंह
3. आशा कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह
4. ज्ञान कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह
5. प्रेम कंवर बेवा पत्नी प्रहलाद सिंह
6. विष्णु कंवर पुत्री प्रहलाद सिंह
7. रघुराज सिंह पुत्र प्रहलाद
8. भीम सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
9. भगवान सिंह पुत्र प्रहलाद सिंह
10. गोपाल सिंह पुत्र जय सिंह
11. दीपक सिंह पुत्र जय सिंह
12. बंकट सिंह पुत्र जय सिंह
13. ज्योति कंवर पुत्री जय सिंह
14. दीपीका कंवर पुत्री जय सिंह
15. पूजा कंवर पुत्री जय सिंह
16. लक्ष्मी कंवर पुत्री जय सिंह
17. भवंर बाई बेवा पत्नी जय सिंह
18. प्रद्युम्न सिंह आत्मज मोड सिंह

19. शंकर सेवक सिंह पुत्र मोड सिंह
20. सोनू कंवर पुत्री मोड सिंह
21. उर्मिला कंवर बेवा पत्नी महेन्द्र सिंह
22. करिश्मा पुत्री महेन्द्र सिंह
23. मीनू कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
24. डिम्पल कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
25. पिंकी कंवर पुत्री महेन्द्र सिंह
26. नन्द सिंह पुत्र मोती सिंह
27. पुष्पा बाई पुत्री मोती सिंह
28. श्रृंगार बाई पुत्री मोती सिंह
    जाति राजपूत निवासीगण बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा
29. शिवनारायण जगरोटिया पुत्र हीरालाल जगरोटिया जाति राजपूत निवासी बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा
30. राज. सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

——रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस :—

1. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक, अपीलांट की ओर से।
2. श्री ओमप्रकाश प्रजापति, अभिभाषक, रेस्पो0 कम 07 की ओर से।

निर्णय **दिनांकः 31.12.2025**

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 10/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थीगण अपीलांट ने मूल वाद के साथ एक प्रार्थना—पत्र अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया तथा प्रार्थना—पत्र में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 28 का पारिवारिक सजरा प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि ग्राम बमोली तहसील दीगोद जिला कोटा मेंखसरा नम्बर 36 की 15 बीघा 7 बिस्वा, खसरा नम्बर 58 की 5 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 62 की 6 बीघा

19 बिस्वा, खसरा नम्बर 97 की 3 बीघा 17 विस्वा, खसरा नम्बर 98 की 0 बीघा 11 बिस्वा, खसरा नम्बर 100 की 1 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 101 की 1 बीघा 12 बिस्वा, खसरा नम्बर 109 की 6 बीघा 0 बिस्वा, खसरा नम्बर 110 की 6 बीघा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 162 की 15 बीघा 8 बिस्वा, खसरा नम्बर 201 की 2 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 251 की 7 बीघा 5 बिस्वा, कुल 10 किता की 70 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित है। उक्त कुल 10 किता की 70 बीघा 2 बिस्वा मोती सिंह, इन्द्रसिंह, अर्जुन सिंह व पेफसिंह पिसरानं जोरावर सिंह के नाम दर्ज चली आ रही थी। जिसमें प्रत्येक का 1/4, 1/4 हिस्सा दर्ज चला आ रहा था। खातेदार पेफ सिंह की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर उसकी पुत्री अनोख बाई व नेनीबाई बेवा का नाम 1/4 हिस्से पर दर्ज हुआ ओर न्यायालय उपजिला कलेक्टर के आदेश से पुराने खसरा नम्बर 109 की 6 बीघा, खसरा नम्बर 110 की 6 बीघा 19 बिस्वा व खसरा नम्बर 97 की 3 बीघा 17 बिस्वा कुल तीन किता की 16 बीघा 19 बिस्वा अनोख बाई व नेनी बाई के नाम अलग खाते दर्ज करदी गयी व शेष भूमि खातेदार मोती सिंह, इन्द्र सिंह व अर्जुन सिंह के खाते दर्ज रही और उनकी मृत्यु के बाद उनके वारिसान प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण नं० 2 ता 28 व अन्य के शामलाती खाते में दर्ज हुई। इसके पश्चात् उक्त 70 बीघा 2 बिस्वा भूमि में सेटलमेन्ट हो गया ओर उसके निम्न नये खसरा नम्बर 37 की 2.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 118 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 120 की 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 201 की 2.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 314 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 116 की 0–36 हेक्टर, खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 124 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 125 की 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 128 की 1.39 हेक्टर, कुल 15 किता की 11.72 हेक्टर कायम किया गया। सेटलमेन्ट के दौरान 9 किता की 8.35 हेक्टर भूमि प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 2 ता 29 के नाम दर्ज की गयी। पूर्व खातेदार मोती सिंह के एक वारिस द्वारा अपने 1/12 हिस्से की भूमि को प्रतिपक्षी नं0 29 को बेचान कर दी है जो 1/12 हिस्से का सहखातेदार है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी नं० 1 ता 3 का 1/18, 1/18, प्रतिपक्षी नं0 2 का 1/18, प्रतिपक्षी नं० 3 ता 9 प्रत्येक का 1/126, 1/126 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 10 ता 17 प्रत्येक का 1/144, 1/144 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 18, 19, 20 का 1/18, 1/18 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 21 से 25 व प्रार्थी नं० 4 प्रत्येक का 1/36, 1/36 हिस्सा, प्रतिपक्षी नं0 26 से 28 का 1/12, 1/12 हिस्सा व प्रतिपक्षी नं0 29 का 1/12 हिस्सा दर्ज है। नये खसरा नम्बर 101 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 116 की

न्यायालय राजस्व अपील

0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 124 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 125 की 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 128 की 1.39 हेक्टर कुल 6 किता की 3.37 हेक्टर की 6 किता की 3.37 हेक्टर भूमि अनोख बाई पुत्री पेफ के नाम दर्ज की गयी, जो गलत है। अनोख बाई के खाते में 16 बीघा 19 बिस्वा भूमि थी जिसके 2.721 हेक्टर होते है इस प्रकार 3.37 हेक्टर भूमि दर्ज कर 0.66 हेक्टर भूमि अधिक दर्ज कर दी। और उसके आधार पर अनोख बाई ने उक्त भूमि प्रतिपक्षी नं० 1 मुकेश को बेचान कर दी, इस प्रकार प्रतिपक्षी नं० 1 के खाते से खसरा नम्बर 116 की 0.36 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर कुल 0.66 हेक्टर भूमि कम की जाकर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं0 2 लगायत 28 के नाम खाते दर्ज किया जाना व खातेदार घोषित किया जाना आवश्यक हो गया है। क्योंकि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं० 2 लगायत 28 का कब्जा चला आ रहा है। उपरोक्त भूमिया पुश्तैनी भूमियां है किन्तु वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अनोख बाई के नाम अधिक भूमि दर्ज होने के कारण प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी नं० 2 ता 28 के खाते कम भूमि दर्ज किये जाने के कारण प्रार्थीगण ने प्रतिपक्षी नं० 1 से उसके खाते दर्ज खसरा नम्बर 116 की 0.36 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर कुल 0.66 हेक्टर भूमि को कम कर प्रार्थीगण व प्रतिपक्षीगण नं0 2 ता 28 के खाते दर्ज करने हेतु दिनांक 06.01.2022 को कहा तो प्रतिपक्षी नं0 1 ने खसरा नम्बर 116 की 0.36 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर कुल 0.66 हेक्टर भूमि को प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी न0 2 ता 28 के खाते दर्ज कराने से इन्कार कर दिया तथा प्रतिपक्षी नं0 1 ने उसके खाते दर्ज खसरा नम्बर 116 की 0.36 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर कुल 0.66 हेक्टर भूमि से प्रार्थीगण को बैदखल करने व रहन बेचान करने की धमकी दी। जिसका कि प्रतिपक्षी नं० 1 को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। यदि उक्त भूमि को प्रतिपक्षी नं. 1 द्वारा भूमि को खुर्द बुर्द, रहन, बेचान, दान, वसीयत व अन्तरण आदि कर दिया गया तो प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी प्रकार नहीं हो सकेगी व प्रार्थीगण का दावा पेश करना ही बेकार हो जावेगा। प्रार्थीगण का केस प्राईमा फेसाई केस है तथा सुविधा का सन्तुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल है तथा अपरिमित क्षति होने की पूर्ण सम्भावना है। प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है ताफैसला दावा प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतिपक्षीगण के विरूद्ध एक अस्थाई निषेधाज्ञा इस आशय की प्रसारित की जावे कि प्रतिपक्षी नं० 1 ग्राम बमूली तहसील दीगोद जिला कोटा की खसरा नम्बर 116 की 0.36 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर कुल 0.66 हेक्टर भूमि अथवा उसके किसी भाग को किसी प्रकार से खुर्द बुर्द, रहन, बेचान, दान, वसीयत

तथा अन्तरण नहीं करे तथा प्रार्थीगण को उक्त भूमि के कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नही करे। उक्त कृत्य न तो स्वयं करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 15.02.2024 को प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 से व्यथित होकर अपीलांट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्तनीय है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 को खारिज फरमाया जावे ।

5. अपीलांट की ओर से अपील मियाद बाहर पेश की गई। अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत किया गया। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सब्जेक्ट–टू–लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे रेस्पोडेन्ट संख्या 7 जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। शेष रेस्पोडेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई। उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील के साथ प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आदेश दिनांक 15.2.2024 को पारित किया गया किन्तु आदेश नही लिखाया गया बाद में आदेश की जानकारी होने पर अविलम्ब दिनांक 10.6.2024 को आवेदन पत्र पेश किया जिस पर नकल दिनांक 11.6.2024 को प्राप्त हो गयी ओर अपील के खर्चे की व्यवस्था कर व वकील साहब से मिलकर यह अपील अविलम्ब पेश की जा रही है जो जानकारी की तिथि व नकल के दिन मुजरा करने पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः प्रार्थना है कि दिनांक 15.2.24 से 10.6.24 तक जानकारी के दिन व दिनांक 21.8.24 से आज तक के दिन को कन्डौन किया जाकर अपील अवधि मध्य स्वीकार फरमायी जावे। अन्त में

प्रार्थी अपीलांट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब की अवधि को क्षमा किए जाने तथा अपील अंदर मियाद शुमार किए जाने का निवेदन किया।

7. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस में अपील मेमो में अंकित कथनों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय कानून, न्याय एंव तथ्यो के सर्वथा विपरित होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण अपीलांटगण का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर० टी० ए० स्वीकार न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि ग्राम बमोली तह० दीगोद में कुल 70 बीघा 2 बिस्वा भूमि मोती सिंह, इन्द्रसिंह, अर्जुन सिंह, पेफसिंह व जोरावर सिंह के खाते दर्ज थी सभी का 1/4, 1/4 हिस्सा था । पेफ सिंह की मृत्यु के बाद पुत्री अनोख बाई व नेनी बाई का नाम 1/4 हिस्से पर दर्ज हुआ ओर उक्त भूमि में से 16 बीघा 19 बिस्वा भूमि अलग खाते दर्ज करदी गयी जिसके 2.2710 हेक्टर होते है किन्तु भूप्रबन्ध के दौरान उक्त 16 बीघा 19 बिस्वा के 3.37 हेक्टर दर्ज कर दिये इस प्रकार 0.66 हेक्टर भुमि अधिक दर्ज हो गयी जिसको कम कराने के प्रार्थीगण व सहखातेदारान अधिकारी है। क्योंकि 0.66 हेक्टर भूमि पर प्रार्थीगण अपीलान्टान व रेस्पो० नं0 2 ता 28 का कब्जा काश्त चला आ रहा है । अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी कतई ध्यान नहीं दिया कि अनोख बाई ने उक्त गलत राजस्व रिकार्ड व अधिक भूमि दर्ज होने के आधार पर उसके खाते दर्ज भूमियों को रेस्पो० नं० 1 को बेचान कर दिया। जबकि उसके खाते गलत रूप से दर्ज खसरा नम्बर 116 की 0–36 हेक्टर व खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर कुल 0.66 हेक्टर भूमि जिस पर अपीलान्ट व रेस्पो० नं0 2 तथा 21 का कब्जा काश्त चला आ रहा हे, को भी बेचान कर दिया जबकि अनोख बाई को उक्त ख0न0 116 व 117 की भूमि को जो प्रार्थीगण अपीलांट व रेस्पो० नं0 2 ता 21 के कब्जे की भूमि है को बेचान करने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी उक्त भूमि के बाबत प्रार्थना पत्र धारा 212 आर० टी० ए० स्वीकार न कर खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थीगण अपीलान्टान ने तीनों बिंदू प्राइमा फेसी केस, सुविधा का सन्तुलन व अपूरर्णीय क्षति के बिन्दू को प्रमाणित कर दिया किन्तु उसे प्रमाणित न मान कर प्रार्थना पत्र प्रार्थी खारिज करने में त्रुटि की है। अपीलांटगण व रेस्पो०नं० 2 ता 21 उक्त ख0न0 116 व 117 की भूमि पर काबिज काश्त चले आ रहे हे प्रतिपक्षी रेस्पो० न01 अपीलान्टान के कब्जे की भूमि से बैदखल करने पर आमादा है इससे प्रार्थीगण अपीलान्टान को ही अपूरर्णीय क्षति होगी

किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्टान को अपूरर्णीय क्षति नहीं होना मान कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मान कर कि इसी भूमि के बाबत पूर्व मे वाद पेश किया गया था। जिसमें अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज हो गया । जब कि पूर्व के वाद में पक्षकार अलग थे तथा ख0नं0 116 व 117 के बाबत पेश नहीं किया गया था। किन्तु इसके बावजूद भी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को रेसजूडिकेटा का अवसर मानते हुये प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि प्रतिपक्षी रेस्पो० नं० 1 उक्त भूमि का खातेदार कृषक है ओर खातेदार कृषक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है, मान कर व अपीलान्टान के कथनों पर विश्वास न कर प्रार्थीगण अपीलान्टान का प्रार्थना पत्र खारिज करने में भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं दिया कि विवादित भूमि ख0न0 116 व 117 पर प्रार्थीगण अपीलान्टान व रेस्पो0नं0 2 ता 21 का कब्जा चला आ रहा है उनके द्वारा अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की गयी तो अपीलान्टान प्रार्थीगण को अपार क्षति होगी और अपने अधिकारों से वंचित होना पडेगा ओर प्रतिपक्षी रेस्पो० नं० 1 अवैध रूप से उक्त भूमि से प्रार्थीगण को बैदखल करने एवं उसे बेचान करने में सफल हो जावेगा इस कारण अधीनस्थ न्यायालय आदेश अपास्त होने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.02.2024 निरस्त किए जाने तथा प्रार्थीगण अपीलांट का प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा धारा 212 आर० टी० ए० स्वीकार किया जाकर ताफैसला वाद इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने का निवेदन किया कि प्रतिपक्षी रेस्पो० नं० 1 विवादित आराजी ग्राम बमोली तहसील दीगोद की खसरा नम्बर 37 की 2.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 83 की 0.95 हेक्टर, खसरा नम्बर 87 की 1.20 हेक्टर, खसरा नम्बर 118 की 0.05 हेक्टर, खसरा नम्बर 119 की 0.76 हेक्टर, खसरा नम्बर 120 की 0.34 हेक्टर, खसरा नम्बर 201 की 2.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 278 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 314 की 0.03 हेक्टर, खसरा नम्बर 101 की 0.26 हेक्टर, खसरा नम्बर 116 की 0.36 हेक्टर, खसरा नम्बर 117 की 0.30 हेक्टर, खसरा नम्बर 124 की 0.87 हेक्टर, खसरा नम्बर 125 की 0.19 हेक्टर, खसरा नम्बर 128 की 1.39 हेक्टर कुल 15 किता की 11.72 हेक्टर भूमि को बिना विभाजन किसी प्रकार से खुर्द बुर्द व रहन बेचान नहीं करे। प्रार्थी को उसके कब्जे काश्त में व्यवधान पैदा नहीं करे ओर उक्त कृत्य न तो स्वंय करे ओर न अपने प्रतिनिधि से करावे तथा रिकार्ड व मोके की यथा स्थिती बनाये रखे।

8. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 7 ने अपनी बहस में निवेदन किया कि प्रार्थीगण ने पूर्व मे भी वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में एक वाद संख्या 118/2012 अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया है। उक्त वाद में भी प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा रेस्पोडेन्टगण के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अनुतोष चाहा है। माननीय न्यायालय ने दोनो पक्षो को सुनकर दिनांक 07.11.2019 को प्रार्थीगण का अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया गया है। प्रार्थीगण अपीलांटगण द्वारा चाही गयी सहायता के सम्बन्ध में इसी माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांटगण के धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निर्णय में प्रार्थीगण का न तो प्रथम दृष्टया प्रकरण माना गया तथा न ही सुविधा का संतुलन माना गया तथा न ही अपरमित क्षति प्रार्थीगण की मानी गयी तथा सभी पक्षो की सुनवाई कर अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना–पत्र को दिनांक 07.11.2019 को निरस्त किया जा चुका है। निर्णय दिनांक 07.11.2019 की अपील राजस्व अपील अधिकारी कोटा द्वारा दिनांक 13.07.2021 को निरस्त कर दी गयी, इस प्रकार अपीलीय न्यायालय तक प्रार्थीगण धारा 212 का प्रार्थना पत्र निरस्त हो चुका है, जिसमे उसी भूमि के सम्बन्ध में यह प्रार्थना पत्र मेन्टेनेबल नहीं है तथा रेसजूडीकेटा से बाधित है। रेस्पोडेन्टगण वादग्रस्त आराजी के खातेदार कृषक है तथा खातेदार कृषक के विरूद्ध अस्थायी निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 खारिज किए जाने का जो आदेश अपने निर्णय दिनांक 15.02.2024 में अंकित किया गया है वह विधि सम्मत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 विधि सम्मत होने से इसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं है। अपीलांट की ओर से प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किए जाने योग्य है। अन्त में अपील अपीलांट खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 यथावत रखे जाने का निवेदन किया।

9. हमने उभय पक्षकारान के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत प्रश्नगत प्रार्थना–पत्र में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से वादग्रस्त आराजी वाके ग्राम बमूली तहसील दीगोद की खसरा संख्या 116 रकबा 0.36 हैक्टेयर व खसरा संख्या 117 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 0.66 हैक्टेयर के किसी भू–भाग को खुर्द बुर्द एवं हस्तांतरित नहीं करने एवं कब्जे काश्त में व्यवधान

उत्पन्न नहीं करने बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किए जाने का अनुतोष चाहा है। प्रार्थीगण अपीलांटगण का कथन है कि वादग्रस्त आराजी अपीलांटगण एवं रेस्पोडेन्टगण की संयुक्त खातेदारी की पुश्तैनी भूमि है जिसे सेटलमेंट के पश्चात अनोख बाई पुत्री पेफ के नाम 3.37 हैक्टेयर दर्ज कर दिया जबकि वादग्रस्त आराजी उसके निहित हिस्से अनुसार 2.721 हैक्टेयर दर्ज होनी चाहिए थी, इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा त्रुटिपूर्ण रूप से अनोख बाई के खाते में रकबा 0.66 हैक्टेयर अधिक दर्ज कर दिया गया है, अनोख बाई द्वारा अपने खाते में त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किए गए खसरा नम्बर 116 रकबा 0.36 हैक्टेयर व खसरा सख्या 117 रकबा 0.30 हैक्टेयर कुल किता 2 रकबा 0.66 हैक्टेयर भूमि को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान कर दिया है। अतः उक्त रकबे 0.66 हैक्टेयर को अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के खाते से कम किया जाकर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 2 लगायत 28 स्वयं के खाते दर्ज करवाने के अधिकारी है। अपीलांटगण का कथन है कि अप्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेचान किए गए खसरा संख्या 116 व 117 की कुल 0.66 हैक्टेयर भूमि पर काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 15.02.2024 में प्रार्थीगण अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र को रेस्ज्युडिकेटा से बाधित होना मानकर खारिज किए जाने का आदेश पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय का तर्क है कि वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में पूर्व में प्रस्तुत वाद संख्या 118/2012 में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र पेश किया गया है जो दिनांक 07.11.2019 को खारिज किया जा चुका है तथा निर्णय दिनांक 07.11.2019 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील भी खारिज की जा चुकी है अतः विवादित आराजी को लेकर पुनः प्रस्तुत किया गया प्रार्थना–पत्र रेसजूडीकेटा से बाधित है। हमारे मत में मूलवाद एवं अपील के विचाराधीन होने की स्थिति में अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना–पत्र वाद एवं अपील के किसी भी स्तर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। चूंकि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मूलवाद का निस्तारण नहीं किया गया है अतः कानूनन हस्तगत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 को रेसज्युडीकेटा से बाधित नहीं माना जा सकता है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय को वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का विधि अनुसार विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किया जाना आवश्यक था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु आवश्यक उक्त तीनो बिन्दुओं का विवेचन किए बिना ही निर्णय पारित किया गया है जो त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर हस्तगत प्रकरण में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा

का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का विधि अनुसार विस्तृत विवेचन करते हुए निर्णय पारित किए जाने के निर्देशों के साथ प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

10. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी दीगोद, जिला कोटा के प्रकरण संख्या 10/2023 में पारित निर्णय दिनांक 15.02.2024 निरस्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वह हस्तगत प्रकरण में वादग्रस्त आराजी के सम्बंध में प्रथम दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दुओं का विधि अनुसार विस्तृत विवेचन करते हुए पत्रावली प्राप्त होने के 30 दिवस के भीतर प्रकरण में अंतिम रूप से निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान अधीनस्थ न्यायालय में सुनवाई हेतु दिनांक 19.01.2026 को स्वयं उपस्थित रहे।

11. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अग्रिम कार्यवाही हेतु अविलम्ब लौटाई जावे।

12. निर्णय आज दिनांक 31.12.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/12/25

(मुरलीधर प्रतिहार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा